कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.04.2024

विषयः- धोखाधड़ी करके फर्जी तरीके से वादिनी की सम्पत्ति हड़पने के मामले में वांछित अभियुक्त तेज बहादुर यादव थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-261/2024 धारा 419/420/467/468/471/323/504/506 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त तेजबहादुर यादव पुत्र बागेश्वर यादव निवासी परनापुर थाना चौबेपुर वाराणसी जनपद वाराणसी को आज दिनांक-23.04.2024 को समय करीब 12.35 बजे सुंगुलपुर अण्डर पास थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 31.05.2023 को शीला देवी पत्नी स्व0 लाल बहादुर यादव निवासिनी ग्राम परनापुर, थाना- चौबेपुर, जनपद वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे पति के मृत्यु के उपरान्त मेरा खाता संख्या 916010011185905 एक्सिस बैंक शाखा हरहुआ, वाराणसी में से मु 16,00,000/- (सोलह लाख) रूपया फर्जी तरीके से चेक पर साइन कर मेरे खाते से निकाल लिए हैं। मेरे पति के नाम से UP65CT9538 ट्रक व UP65CT9638 ट्रक व UP65BS6638 स्कार्पियो हड़प कर फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिए हैं तथा एक ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP65CT9638 को राजीव कुमार व्यक्ति के नाम बेच दिए हैं। दिनांक 15.03.2023 को उक्त गाड़ियों के कागजात को लेकर अपनी पुत्री सोनी के साथ अपने पति के बड़े भाई एवं छोटे भाई तेजबहादुर यादव व धर्मेन्द्र यादव से गाड़ियों के बारे में पूछा तो मेरे जेठ एवं देवर व उनके लड़के अंकित यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव, आकाश यादव पुत्र तेजबहादुर यादव ने कहा कि यह गाड़ियां तुम्हारी नहीं है तुम्हे जो करना है वह तुम करो और मुझको माँ बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देने लगे तथा विपक्षीगण ने अपने पुत्र अंकित यादव (गोलू) को उकसाया कि इन लोगों को जान से मार दो इतने पर अंकित यादव ने गड़ासे से एवं आकाश यादव ने डंडे से मुझे व मेरी पुत्री पर हमला कर दिया जिसके हमले से मुझे व मेरी पुत्री को चोटें आयी। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0 261/2023 धारा 419/420/467/468/471/323/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

तेजबहादुर यादव पुत्र वागेश्वर यादव निवासी परनापुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 65 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- सुंगुलपुर अण्डर पास थाना चौबेपुर वाराणसी, दिनांक-23.04.2024 को समय करीब 12.35 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक विद्याशंकर शुक्ल थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अयोध्या प्रसाद मिश्र थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 दिनेश कुमार यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।